



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-01012026-268992
CG-CG-E-01012026-268992

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5896]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 30, 2025/पौष 9, 1947

No. 5896]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 30, 2025/PAUSHA 9, 1947

रेल मंत्रालय
(दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे)

अधिसूचना

बिलासपुर, 26 दिसम्बर, 2025

रेल अधिनियम 1989 की धारा 20 (ड.) के अंतर्गत सूचना

का.आ. 6096 (अ).—केंद्रीय सरकार ने, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) जिसे इसमें इसके पश्चात (उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 4444 तारीख 07/10/2025 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा उक्त अधिसूचना से उपबन्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् “बिलासपुर डिवीजन-एसआरबीए-पीएलएयू के बीच एलसी नंबर सीजी-17 के बदले एलएचएस का निर्माण।” के निष्पादन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिनियम की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन उक्त अधिसूचना क्रमांक 4444 तारीख 07/10/2025 का लोकसदन (हिन्दी) कोरबा संस्करण में दिनांक 01.11.2025 को प्रकाशित किया गया था;

और नियत अवधि में कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ;

और उक्त अधिनियम की धारा 20 (ड.) की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

अतः अब केंद्रीय सरकार सक्षम अधिकारी से उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर और रेल अधिनियम 1989 कि धारा 20(ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि अनुसंलग्न अनुसूची में लिखित भूमि अधिग्रहित की जाती है;

और यह कि केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त अधिनियम कि धारा 20 (ड.) के अनुसरण में यह घोषणा करती है इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लग्रों से मुक्त होकर केंद्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

(अ) रेल परियोजना "बिलासपुर डिवीजन-एसआरबीए-पीएलएयू के बीच एलसी नंबर सीजी-17 के बदले एलएचएस का निर्माण" के अधिग्रहण के लिए भूमि का संक्षिप्त विवरण.

1. ग्राम – सरगबुंदिया , प. ह. नं.- 05, तहसील – बरपाली, जिला – कोरबा (छ.ग.)

क्र.	खसरा न.	भूमि का स्वामित्व	भूमि का प्रकार	अर्जित रकबे का क्षेत्र (हे.) में	भूमि स्वामी का नाम
1.	647/7	निजी	कृषि	0.064	जैतराम पिता साधराम जाति- तेली
2.	647/6	निजी	कृषि	0.021	ननकीराम पिता साधराम जाति- तेली
3.	647/5	निजी	कृषि	0.097	मंगलू राम पिता साधराम जाति- तेली
4.	647/1	निजी	कृषि	0.007	मयूर पिता पारिक पिता जयप्रकाश पारिक, शिवराज साहू पिता पोखराज साहू जाति – तेली
5.	649/1	निजी	कृषि	0.019	रामअवतार साहू माता आनंदमती श्यामअवतार माता आनंदमती, गिरजा शंकर माता लोचनदेवी, नीलिमा माता लोचनदेवी, पूर्णिमा साहू माता लोचनदेवी, उषा साहू माता आनंदमती, ज्योति साहू माता आनंदमती जाति – तेली
6.	649/5	निजी	कृषि	0.012	ना.बा. जितेंद्र कुमार, ना.बा. पूजा कुमारी, ना.बा. चंचल कुमारी पिता नारायण ना.बा. बली वो खुद सहोदरा बाई पति नारायण जाति – तेली
7.	650/5/क	निजी	कृषि	0.028	भूपेन्द्र कुमार पिता श्यामलाल लक्ष्मीन पिता श्यामलाल, शबनम पिता श्यामलाल शम्भ्या पिता श्यामलाल, मीना बाई पिता श्यामलाल, जाति – तेली
8.	650/4	निजी	कृषि	0.016	फूलेश राम पिता अमृतलाल, जाति – तेली
9.	650/7	निजी	कृषि	0.012	ननकीराम पिता साधराम, जाति – तेली
10.	650/3	निजी	कृषि	0.008	गीता बाई, नीता बाई, सुनीता बाई पिता बिहारी लाल
11.	650/6	निजी	कृषि	0.008	मंगलूराम पिता साधराम जाति – तेली
12.	650/8	निजी	कृषि	0.010	जैतराम पिता साधराम जाति – तेली
13.	596/1	निजी	कृषि	0.024	पवन राम, सावन लाल पिता संधु लाल, जाति – सतनामी
कुल भूमि (सरगबुंदिया)				0.326 हे.	

[फा. सं. डीवाई.सी.ई./जीएसयू/बीएसपी/आरयूबी /CG17/20(ड.)/1]
संजय बा. नागभिडकर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण/आरएसपी

MINISTRY OF RAILWAYS**(South East Central Railway)****NOTIFICATION**

Bilaspur, the 26th December, 2025

Notification Under Section 20e Of The Railway Act 1989

S.O. 6096(E).—Whereas by the notification of the Government of India, In the Ministry of Railways (Railway Board) number 4444, dated 07/10/2025, published in the Gazette of India (Extra-Ordinary) Part-II section 3 sub section (ii), hereinafter referred to as the said notification) under subsection (1) of 20A of the railway act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for execution of Special Railway Project, namely **“Bilaspur Division - Construction of LHS in lieu of LC No. CG-17 Between SRBA-PLAU”** in the state of Chhattisgarh.

And, whereas, the substance of the said notification Number 4444, dated 07/10/2025, was published in the daily newspapers, Loksadan (Hindi) Korba edition on 01.11.2025 under sub-section (4) of Section 20A of the said Act,

And whereas, no objection was received within the set time period.

And, whereas, in pursuance of sub-section (I) of Section 20E of the said Act, the Competent Authority has submitted his report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section I) of Section 20E of the said Act, 1989, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And, further, in pursuance of sub-section (2) of Section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances,

A. “Bilaspur Division - Construction of LHS in lieu of LC No. CG-17 Between SRBA-PLAU” Brief description for the acquisition.

1. Village Name – Saragbundiya, P.H.No.- 05, Tehsil – Barpali, District – Korba (C.G.)

Sl. No.	Khasra No.	Ownership	Type of Land	Acquired Land Area (in Hect)	Name of Land Owner
1.	647/7	Private	Agriculture	0.064	Jaitram S/O Sadhram Caste- Teli
2.	647/6	Private	Agriculture	0.021	Nankiram S/O Sadhram Caste- Teli
3.	647/5	Private	Agriculture	0.097	Manglu Ram S/O Sadhram Caste- Teli
4.	647/1	Private	Agriculture	0.007	Mayur S/O Pareek S/O Jaiprakash Pareek, Shivraj Sahu S/O Pokharaj Sahu Caste – Teli
5.	649/1	Private	Agriculture	0.019	Ramavatar Sahu S/O Anandmati, Shyamavatar S/O Anandmati, Girja Shankar S/O Lochandevi, Neelima D/O Lochandevi, Purnima Sahu D/O Lochandevi, Usha Sahu D/O Anandmati, Jyoti Sahu D/O Anandmati Caste – Teli
6.	649/5	Private	Agriculture	0.012	Jitendra Kumar, Pooja Kumari, Chanchal Kumari, father Narayan, Bali, she herself, Sahodra Bai W/O Narayan, caste – Teli.
7.	650/5/क	Private	Agriculture	0.028	Bhupendra Kumar S/O Shyamlal Laxmin D/O Shyamlal, Shabnam D/O Shyamlal, Shabhya D/O Shyamlal, Meena Bai D/O Shyamlal, caste – Teli.
8.	650/4	Private	Agriculture	0.016	Fulesh Ram S/O Amritlal, Caste – Teli

9.	650/7	Private	Agriculture	0.012	Nankiram S/O Sadharam, Caste – Teli
10.	650/3	Private	Agriculture	0.008	Geeta Bai, Neeta Bai, Sunita Bai D/O Bihari Lal
11.	650/6	Private	Agriculture	0.008	Mangluram S/O Sadharam Caste – Teli
12.	650/8	Private	Agriculture	0.010	Jaitaram S/O Sadharam Caste – Teli
13.	596/1	Private	Agriculture	0.024	Pawan Ram, Sawan Lal, S/O Sandhu Lal, Caste – Satnami.
Total Land					0.326 Hac.

[F. No. DY.CE/GSU/BSP/RUB/CG-17/20E/1]

SANJAY B. NAGBHIDKAR, Chief Administrative Officer/C/RSP